भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1848

उत्तर देने की तारीख- 31/07/2025

अनुसूचित जनजाति सूची में जातीय समुदायों को शामिल करना

1848. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:
श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को चुटिया, कोच-राजबोंगशी, मटक, मोरन, ताई-अहोम और चाय बागान जनजाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की सूची में शामिल करने के लिए असम राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से क्या सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;
(ग) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति सूची में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने तक उक्त समुदायों को अंतरिम अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसके लिए एक विधेयक वर्ष 2019 में पुर: स्थापित किया गया था लेकिन वह अभी भी लंबित है, उन्हें शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का विचार है;
(ङ) असम में मंत्रियों के समूह की नवगठित समिति का ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जनजाति की सूची में इन छह जातीय समुदायों को शामिल करने के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए इसके अधिदेश और समय-सीमा क्या है;
(च) क्या वर्ष 2019 में गठित मंत्रियों के समूह की ऐसी ही पूर्व समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या सरकार उन्हें शामिल करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने तथा आवश्यक संवैधानिक संशोधन हेतु एक स्पष्ट एवं निश्चित समय-सीमा निर्धारित करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख) चुटिया, कोच-राजबोंगशी, मटक, मोरन, ताई अहोम और चाय जनजातियों को शामिल करने की सिफारिश असम राज्य सरकार से प्राप्त हुई है।

भारत सरकार ने 15.6.1999 को (जिसे 25.6.2002 और 14.9.2022 को और संशोधित किया गया) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में शामिल करने, बहिष्कृत करने और अन्य संशोधनों के लिए दावों पर निर्णय लेने के तौर-तरीके निर्धारित किए हैं। तौर-तरीकों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाना है और कानून में संशोधन किया जाना है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुशंसित और उचित ठहराया गया है और जिन पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने सहमति व्यक्त की है। प्रस्तावों पर सभी कार्रवाई इन स्वीकृत तौर-तरीकों के अनुसार की जाती है।

(ग) किसी समुदाय को अंतरिम एसटी का दर्जा देने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

(घ) से (छ) किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेशन के प्रस्तावों में प्रविधियों के अनुसार कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्तावों की जांच आरजीआई के कार्यालय और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की जाती है। यदि प्रस्ताव आरजीआई द्वारा अनुशंसित नहीं है, तो राज्य सरकारों को आरजीआई द्वारा उठाए गए बिंदुओं के बारे में सूचित किया जाता है, ताकि अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सके। इसलिए ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।

असम सरकार ने सूचित किया है कि "गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ओएम संख्या 9/3/2011-I (पं.-I), दिनांक-04-01-2019 के अनुसरण में राज्य में छह समुदायों के लिए आरक्षण की मात्रा निर्धारित करने, असम में एक नई एसटी श्रेणी के निर्माण के बाद ओबीसी के लिए आरक्षण की संशोधित मात्रा का सुझाव देने और असम की मौजूदा अनुसूचित जनजातियों के हितों, अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के लिए मंत्रियों के समूह की एक समिति का गठन किया गया था। पूर्ववर्ती समिति ने विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों और नेताओं के साथ-साथ आदिवासी समूहों के साथ कई दौर की चर्चा की। उसी समिति को अब क्रमांक E232949/791 दिनांक 04/07/2024 और क्रमांक E.232949/799 दिनांक 01/03/2025 के माध्यम से पुनर्गठित किया गया है।"

*****